"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—आषाढ़ 10, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. के. राऊत भा.प्र.से. (1984), अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा विकास आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, ठा. प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (1985) अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्य मंत्री, प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली एवं अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. श्री आर.पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987), प्रमुख सचिव, वन विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994), सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

6. श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (TN-2000) सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा सचिव, जन संपर्क विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सचिव, जनसंपर्क विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

7. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. सड़क विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. सड़क विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

8. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

श्री अविनाश चंपावत द्वारा संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अनिल कुमार राय, भा.व.से. (1990), सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण केवल आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

9. सुश्री ऋतु सैन, भा.प्र.से. (2003), कलेक्टर, सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी अदेश पर्यन्त् मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ करते हुए अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

10. श्री निरंजन दास, भा.प्र.से. (2004), कलेक्टर, गरियाबंद को अस्थाई रूप से आगामी अदेश पर्यन्त् संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्रीमती श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006), प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, संचालक, ग्रामोद्योग तथा संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् कलेक्टर, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

12. श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अपर विकास आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ करता है.

13. श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, धमतरी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है.

14. श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), अपर कलेक्टर , रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, संचालक, ग्रामोद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री श्याम लाल धावड़े द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) केवल महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

15. श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), अपर कलेक्टर, रायपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-05-2016 के द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

16. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-05-2016 के द्वारा अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

17. डॉ. जितेन कुमार, भा.व.से. (1986), आयुक्त, श्रम तथा पदेन सचिव, श्रम विभाग की सेवाएं वन विभाग को सौंपते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

18. श्री अतुल कुमार शुक्ला, भा.व.से. (1986), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन मुख्यालय, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अतुल कुमार शुक्ला द्वारा सचिव, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अनिल कुमार साहू, भा.व.से. (1990),सचिव, वन तथा सचिव, ऊर्जा विभाग केवल सचिव, वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे. सचिव,ऊर्जा विभाग का प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्रमांक एफ 1-49/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विआशा. नक्स. अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 07-04-2016 से दिनांक 16-04-2016 तक कुल 10 दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. डॉ. आनंद छाबड़ा को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. छाबड़ा उक्त अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक 1064/899/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिदेशक-सह-संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 07-07-2016 से दिनांक 15-07-2016 तक कुल 09 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृत करते हुए, दिनांक 06, 16 एवं 17-07-2016 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिदेशक-सह-संचालक, लोक अभियोजन, छ.ग. रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भा.पु.से. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंसारी, अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्रमांक एफ 7-18/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सदानंद कुमार, भापुसे, (2010), पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 06-06-2016 से 20-06-2016 तक (कुल 15 दिवस) पितृत्व अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सदानंद कुमार, आगामी अदेश तक पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सदानंद कुमार को उक्त अवकाश अवधि में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सदानंद कुमार, भापुसे (2010) अवकाश पर नही जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सदानंद कुमार, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री आर. एस. नायक, पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2016

क्रमांक फा. क्र./एफ 1-44/2015/33/पर्यटन.—राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल की सेवा उपविधियां 2002 के अध्याय 01 एवं 02 में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02/03/2007 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2007 को अधिक्रमित किया जाता है. छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 18-08-2015 द्वारा दिये गये अनुमोदन पश्चात छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के लिए संलग्नक अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2015 लागू करता है. इन नियमों के अध्याय 01 एवं 02 के नियम 24 का संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से तथा शेष समस्त सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिनांक 18-01-2002 से लागू किये जाते है. यह नियम छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2015 कहलायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष कुमार मिश्र, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्रमांक एफ 1-131/2008/32.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-09-2010 द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के संचालक मण्डल में श्रीमती निधि छिब्बर एवं सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. को सदस्य मनोनीत किया गया है, राज्य शासन श्रीमती छिब्बर एवं सुश्री निगार के स्थान पर श्रीमती संगीता पी. आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक एफ 4-12/2004/11/6.—छत्तीसगढ़ भागीदारी (फर्मों का पंजीयन) नियम, 1951 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (क्र. 9 सन् 1932) की धारा 71 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनिमय की धारा 71 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग, कक्ष क्रमांक एम 5-25, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 19 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(एक) अधिकतम फीस—नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों या कृत्यों के लिये, उक्त तालिका के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित तद्संबंधी अधिकतम फीस, उद्ग्रहित की जायेगी :—

दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है.	अधिकतम फीस		
	दिनांक 4-7-2010 से संगणित फीस (राशि रुपये में)	दिनांक 4-7-2012 से संगणित फीस (राशि रुपये में)	दिनांक 4-7-2014 से पुनरीक्षित फीस (राशि रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 58 के अधीन कथन	579	609	640
धारा 58 (4) के अधीन अपील ज्ञापन	-	-	275
धारा 60 के अधीन कथन	116	122	128
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	116	122	128
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	59	62	65
धारा 63 के अधीन सूचना	116	122	128
धारा 64 के अधीन आवेदन	59	62	65
धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण	28	30	32
धारा 66 की उप-धारा (2) के अधीन फर्म संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण	13	14	15
धारा 67 के अधीन फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां, प्रत्येक 100 शब्द या उसके भाग के लिये	14	15	16

टीप — (1) अधिकतम फीस में उपरोक्त वृद्धि, सांकेतिक मानी जायेगी तथा यह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगी.

(2) प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेगी और तत्पश्चात् वृद्धि की गई दरें प्रभावी मानी जायेगी.

Raipur, the 15th June 2016

No. F 4-12/2004/11/6.—The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Partnership (Registration of Firm) Rules, 1951, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 71 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Government of Chhattisarh Department of Commerce and Industry, Room No. M 5-25, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 19, the following shall be substituted, namely:—

(i) Maximum fees-For the documents or acts as mentioned in column (1) of the table, below, the corresponding maximum fees as mentioned in column (4) of the said table shall be levied.

TABLE

Decoment or act in respect of which the fees in payable	Maximum Fees		
	Colculated fees on 4-7-2010 (Amount in Rupees)	Calculated fees on 4-7-2012 (Amount in Rupees)	Revised fees from dated 4-7-2014 (Amount in Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
Statement Under Section 58	579	609	640
Appeal memo Under Section 58(4)	-	-	275
Statement Under Section 60	116	122	128
Intimation under Section 61	116	122	128
Intimation under Section 62	59	62	65
Information under Section 63	116	122	128
Application under Section 64	59	62	65
Inspection of register for firm under sub-section (1) of Section 66.	28	30	32
Inspection of documents related to Firm under sub-section (2) of Section 66	13	14	15
For each 100 words or part thereof Copies from register of firms under Section 67.	14	15	16

Note— (1) The above increase in the maximum fees shall be deemed to be nominal and shall be applicable from the date of publication of this Notification.

(2) After every 2 years, the above mentioned rates shall be increased by 5 percent, which will be rounded off to the nearby rupee, and thenceforth the increased rates shall be deemed to be in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक एफ 4-16/2004/11/(6).—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-1/2016/एम/2 दिनांक 26-5-2016 के परिपालन में श्री यशवंत कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा दिनांक 03-06-2016 को पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, नया रायपुर का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अत: छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58(1) के तहत श्री यशवंत कुमार, (भा.प्र.से.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पंजीयक की समस्त शक्तियां प्रदत्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्रमांक एफ 1-28/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सह-प्राध्यापक, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु. 9,000/- (ए.आई.सी.टी.) एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स.क्र.	लो.से.आ. का प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री लक्ष्मीकांत यदु	सिविल	शाकसीय इंजीनियरिंग महाविद्याल, रायपुर.
2.	01	श्री चन्द्रशेखर	मैकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर.
3.	01	श्री सत्यप्रकाश दुबे	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर.
4.	01	श्री विनय कुमार सिंह	इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	01	श्री शैलेश धर दीवान	गणित	शाकसीय इंजीनियरिंग महाविद्याल, रायपुर.
6.	01	श्री अवनीश कुमार उपाध्याय	भौतिकी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर.
7.	01	श्री विकास कुमार जैन	रसायन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धशासकीय) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13(1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13(2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है,तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि,अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13(1) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों को वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता , प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान 15,600-39,100 +ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स.क्र.	लो.से.आ. का प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री दीपक कुमार बोरकर	आर्किटेक्चर	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर.
2.	02	श्रुतिका शर्मा	आर्किटेक्चर	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर.
3.	03	ममता देवांगन	आर्किटेक्चर	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर.
4.	04	ज्योति कंवर	आर्किटेक्चर	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर.
5.	01	चारू अवस्थी	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर.
6.	02	श्री विनय कुमार मिश्रा	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर.
7.	03	काजल परगनिहा	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	उप्रउ शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग.
8.	04	हेमलता लहरे	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर.
9.	05	सुषमा देवांगन	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव.
10.	01	श्री हेमंत चंद्रवंशी	इंटीरियर डिजाईन एण्ड डेकोरेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर.
11.	01	सावित्री रानी	कॉस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर.
12.	02	वर्षा चन्द्राकर	कॉस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	03	सचिता ठाकुर	कॉस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर.
14.	04	सीमा वट्टी	कॉस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षक संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13(1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13(2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13(1) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों को वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक एफ 1-30/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-6-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 7 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	लो.से.आ. की प्रवीण्यता सूची क्र.	चयनित विभागाध्यक्ष का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	13	03	देबजानी चट्टोपाध्याय	इलेक्ट्रिकल	शा.पाली. कोरिया	भो.रा.प. शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
2.	15	01	श्री अभिषेक अवस्थी	इलेक्ट्रॉ. एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन	उ.प्र.उ.शा. पॉली दुर्ग	शा. कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर.
3.	16	02	श्रीमती हिमानी अग्रवाल	इलेक्ट्रॉ. एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन	शा. कन्या पॉली, बिलासपुर	उ.प्र.उ.शा. पॉलीटेक्निक दुर्ग.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्ते यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 7 मई 2016

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिए)

अ-सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण

क्रमांक 4785/कले./भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्रम/नगर	क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	भखारा	1.87	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग धमतरी.	भखारा बाई पास मार्ग निर्माण दूरी 4.00 कि.मी.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 01-06-2016 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) भखारा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — उक्त सड़क भखारा नगर पंचायत का बाईपास मार्ग के रूप में उपयोग किया जाना है.

2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	कुल-11 परिवार.
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन किया जाना है, मकान एवं अन्य परिसम्पत्तियां प्रस्तावित भूमि में नहीं है.
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या निरंक है.
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	प्रस्तावित भू-अर्जन परियोजना के लिये न्यूनतम व उचित क्षेत्र है.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां.
8.	परियोजना की कुल लागत	—	लगभग राशि 728.89 लाख रुपये
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग भखारा के मध्य से होकर निकलती है जिससे दुर्घटना होती है व याता-यात बाधित रहता है. बाई पास मार्ग के निर्माण से दुर्घटना रहित व सूचारूप से यातायात की व्यवस्था बनेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	लोक निर्माण विभाग द्वारा संभावित व्यय का भुगतान करने हेतु प्रमाण पत्र दिया गया है. विभाग सहमत है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 7 मई 2016

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिए)

अ-सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण

क्रमांक 4787/कले./भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	प्राधिकृत अधिकारी (5)	लोक प्रयोजन का विवरण (6)
धमतरी	कुरूद	सिहाद	3.55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग धमतरी.	भखारा बाई पास मार्ग निर्माण दूरी 4.00 कि.मी.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 01-06-2016 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) भखारा/सिहाद पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उक्त सड़क भखारा नगर पंचायत का बाई पास मार्ग के रूप में उपयोग किया जाना है.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	कुल-29 परिवार.
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन किया जाना है, मकान एवं अन्य परिसम्पत्तियां प्रस्तावित मार्ग में नहीं है.
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या निरंक है.
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	प्रस्तावित भू-अर्जन परियोजना के लिये न्यूनतम व उचित क्षेत्र है.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां.
8.	परियोजना की कुल लागत	—	लगभग राशि 728.89 लाख रुपये
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग भखारा के मध्य से होकर निकलती है जिससे दुर्घटना होती है व याता-यात बाधित रहता है. बाईपास मार्ग के निर्माण से दुर्घटना रहित व सूचारूप से याता-यात की व्यवस्था बनेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	लोक निर्माण विभाग द्वारा संभावित व्यय का भुगतान करने हेतु प्रमाण पत्र दिया गया है. विभाग सहमत है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोंछ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.991 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
666/2	0.049
666/1	0.024

(1)	(2)
676/2	0.016
673	0.162
650/4	0.081
674	0.259
676/1	0.012
675/1	0.101
1187/2	0.081
675/2	0.069
732	0.016
733	0.146
739	0.129
734	0.129
761/1	0.032
773	0.202
774	0.049
791/1, 791/3	0.263
794	0.040
792	0.036
793	0.263
795/1	0.405
795/2	0.275
818/1	0.016
812	0.109
799	0.049
1163/2	0.405
800	0.032
1270/2	0.138
1271	0.081
1280/1	0.178
1273	0.138
1274	0.105
1275	0.251
1279	0.032
1174	0.170
1175/1	0.259
1175/2	0.032
1173/3	0.101
1173/2	0.065
1164/1	0.040
1176/1	0.004
741	0.004
743	0.247
744	0.032
726/1	0.152
726/2	0.032
751	0.024
750	0.053
749	0.073
747	0.008
1449	0.008
748	0.178
776	0.146
775	0.113
1290	0.032
806	0.129
802	0.162
804/1	0.008
804/2	0.057
807	0.146
803	0.320
1289	0.138
1293/4	0.024
1284	0.081
1283/1	0.219
1285/2, 1286/2	0.073
1283/2	0.040
1282	0.024
1281	0.081
1163/1	0.138
1158/2	0.008
1158/3	0.020
1158/1	0.004
1148/1	0.170
1159	0.202
1160	0.178
1154	0.194
1156	0.028
1153	0.089
1155/1	0.049
1155/2	0.121
1148/3	0.004
1283/3	0.150
योग 84	8.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.094 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
489/2	0.210
438/1	0.567
483/2	0.117
483/1	0.259
429/2	0.012
429/3	0.012
429/4	0.012
430	0.372
427/2, 1239	0.146
427/1	0.202
427/3	0.162
428	0.020
425	0.121
424/2	0.243
975/2	0.049
405/1	0.400
405/2	0.162
388/2	0.020
388/3	0.162
597/3	0.243
388/4	0.182
389/1	0.202
389/2	0.283
390/1	0.202
390/5	0.012
390/3	0.061

(1)	(2)
391/1	0.101
391/2	0.081
377/5	0.364
968	0.016
377/2	0.170
967/2	0.024
377/1	0.445
999	0.065
1057/1	0.040
1057/2	0.251
1057/4	0.101
1057/5	0.065
1059	0.150
1054/2	0.526
1060/1	0.101
1060/2	0.101
1063/3	0.081
1054/1	0.809
1046/2	0.162
1076/10	0.324
1046/3	0.020
1078/1	0.324
1078/2	0.182
1044/1	0.024
1044/2	0.138
1045	0.142
1042/1	0.065
1047	0.004
1078/3	0.441
1078/5	0.121
1078/6	0.024
1076/11	0.243
1077/2	0.010
1077/1	0.086
1092/1	0.040
998	0.040
1093/1	0.040
1101/2	0.182
1094/1	0.081
1094/3	0.202
1101/1	0.178
1095/2	0.364
1095/3	0.141
1096/5	0.081
1102/1	0.081
1102/3	0.048
997	0.138
1170/2	0.081

(1)	(2)
1100	0.129
1124/1	0.182
1124/2	0.121
1124/3	0.081
1125/1	0.534
1171/6	0.405
1171/4	0.194
1172/3	0.040
1176/5	0.020
1182/1	0.142
1176/1 क	0.073
1179/3	0.097
1125/2	0.283
1126	0.486
1171/3	0.101
1171/5	0.093
1171/2	0.526
1175	0.024
1172/1	0.057
1176/2 क	0.150
1176/2 ख	0.194
1176/4	0.235
1180	0.178
1179/2	0.032
1179/4	0.433
1181/1	0.061
1181/3	0.028
1182/2	0.101
1183/2	0.223
1184	0.061
1183/1	0.291
1183/3	0.040
1216/2	0.004
1214/2	0.012
1215/1	0.202
1215/2	0.121
1215/3	0.243
1212/2	0.121
589/9	0.032
1212/3	0.157
589/16	0.202
1212/4	0.162
598/4	0.040
597/1	0.243
597/2	0.142
597/4	0.275
596	0.020
593	0.324
589/8	0.162
488/1	0.141
488/2	0.129
488/3	0.101
488/4	0.364
484	0.202
485/1	0.004
482/2	0.162
398/1	0.020
482/5	0.101
433	0.243
432/2	0.243
431/4	0.141
435	0.222
436/1	0.283
437/1	0.405
418	0.186
984/4	0.016
438/1	0.486
438/3	0.162
439/1	0.263
439/2	0.364
439/3	0.283
411/3	0.101
440/2	0.081
441	0.061
442/1	0.024
378	0.040
404/1	0.012
487/1	0.032
1218/3	0.142
1058	0.324
969	0.020
970	0.020
971/1	0.170
971/2	0.105
972	0.121
973	0.045
974/2	0.113
974/4	0.097
974/5	0.057
योग 163	26.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 15/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.828 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.081
14/2	0.004
15	0.146
13	0.263
7	0.311
6	0.032
211	0.020
210	0.138
212	0.024
8/1	0.243
314	0.040
283/1 ख	0.097
283/2 ट	0.267
283/1 क	0.101
310	0.089
312	0.024
657/1, 657/2	0.372
669/2	0.134
667	0.202
413/1	0.146
413/2	0.032
414	0.429
423/9	0.053
423/10	0.332
423/3	0.227
423/2	0.073
423/11	0.202
423/12	0.101
423/6	0.445
424	0.121
425	0.008
551	0.016
567	0.028
552	0.097
566	0.057
568	0.101
569	0.053
570	0.170
575	0.012
576	0.109
595	0.223
577	0.105
594/1	0.089
594/2	0.081
606	0.008
607	0.146
620/1	0.089
279	0.154
278	0.117
340/1	0.012
277	0.121
341/2	0.032
275	0.020
343	0.170
276	0.101
280/1	0.040
272	0.093
341/1	0.061
342	0.121
358	0.202
359	0.182
649/1	0.526
645	0.073
646	0.056
647	0.016
639/2	0.016
648	0.008
644/1	0.526
668/1	0.040
671	0.243
669/1	0.283
670	0.121
641	0.308
655	0.121

(1)	(2)
464	0.024
465	0.028
462	0.057
463	0.057
461	0.045
413/3	0.150
453	0.384
454	0.089
455	0.020
452/1	0.061
574	0.040
452/2	0.061
571	0.125
496/1, 560/1	0.065
496/2, 560/2	0.053
592/2	0.024
497	0.085
498	0.061
499	0.166
500	0.024
562	0.251
558	0.210
557/2	0.121
554	0.061
553	0.008
555	0.028
556	0.028
619	0.097
620/2	0.105
620/3	0.073
617	0.040
834	0.364
825	0.036
859/2	0.101
826/1	0.089
826/2	0.069
833/1	0.129
833/2	0.251
832/2	0.024
832/3	0.174
832/1	0.174
856	0.020
823/1	0.101
824/2	0.202
824/3	0.101
823/3	0.032
862	0.129
863/2	0.146
866/1	0.113
866/2	0.121
863/1	0.008
865	0.656
872	0.089
283/2 घ	0.154
योग 129	15.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिचिरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.959 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
345	0.245
344/1	0.202
348/3	0.210
344/2	0.202
348/1	0.223
318/5	0.263
318/2	0.016

(1)	(2)
316/17	0.243
316/3	0.012
316/28	0.049
316/8	0.364
316/14	0.142
316/26	0.324
316/24	0.405
316/4	0.024
369	1.239
367/1	0.061
475	0.121
481/2	0.020
476/3	0.040
476/4	0.081
479/2	0.040
480	0.970
481/1	0.749
489/2	0.101
489/3	0.020
490	0.672
506/1	0.202
506/5	0.101
506/3	0.385
491/1	0.162
492/1	0.223
492/3	0.647
505/2	0.020
599/2	0.971
580/1	0.213
581	0.162
582	0.202
585/1	0.223
586/1	0.020
584/1	0.304
584/2	0.243
585/2	0.121
598/2	0.040
598/1	0.121
597/4	0.085
597/8	0.085
597/9	0.085
597/1	0.182
597/6	0.121
597/3	0.316
367/2	0.514
365/1, 365/2	0.729
363	0.142
376	0.138
69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15	1.378
69/16	0.486
498/1	0.749
498/2	0.567
503/3	0.162
502/5	0.020
502/2	0.648
502/3	0.910
502/8	0.040
501	0.040
500/2	0.008
500/1	0.061
597/5	0.081
596	0.028
583	0.283
476/1	0.288
476/6	0.012
69/17	0.020
502/10	0.223
595	0.040
69/4	0.061
473	0.061
योग 82	19.959

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 17/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.011 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38/1	0.360
39/2	0.065
39/3	0.061
40	0.069
128/3	0.117
127	0.235
38/2	0.299
36	0.012
35	0.028
33/1	0.032
32/1	0.040
32/2	0.020
126/1	0.105
113/2	0.061
109/3	0.020
41	0.024
42/2	0.081
43/3	0.016
44/2	0.146
54/4	0.061
60/1	0.024
61	0.020
64	0.012
101/2	0.085
101/3	0.182
128/2	0.170
125	0.028
126/3	0.053
113/1	0.061
126/2	0.109
114/1	0.065
114/2	0.129
114/3	0.065
109/1	0.081
101/1	0.093
109/2	0.344
109/4	0.146
105/1	0.149
155	1.343
योग 39	5.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 21/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलमुण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.063 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.020
70	0.024
52	0.190
50	0.101
53	0.526
55/1	0.085
55/2	0.049
67	0.458
250/20	0.348
57/1	0.158
57/2	0.190
58	0.008
302	0.138
311/2	0.514
303	0.223
311/1	0.231
307	0.101
250/23	0.235
322/1	0.053
322/3	0.190
323	0.182
324	0.320
325	0.158
326	0.016
327	0.061
331	0.295

(1)	(2)
332	0.089
333/1, 333/2	0.020
710	0.105
328	0.073
329	0.259
484/1	0.020
484/3	0.101
741	0.024
765/4	0.182
764	0.251
782/2	0.328
781	0.162
780	0.036
779/1	0.125
779/2	0.125
777/1	0.045
73/4	0.008
482/22	0.340
482/13	0.336
482/6	0.518
482/12	0.708
482/1	0.121
690/1	0.251
690/12	0.474
305	0.061
306	0.008
304	0.429
310/1	0.008
310/2	0.437
309	0.016
308/2	0.024
322/2	0.036
308/1	0.016
486/2	0.077
706/1	0.251
701	0.061
707	0.166
706/2	0.271
708	0.101
709/1	0.109
709/1 क	0.024
709/2	0.065
690/5	0.223
690/6	0.138
690/7	0.109
330/1	0.008
482/5	0.032
690/14	0.486
782/4	0.304
342/1	0.028
योग 77	13.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 41/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.002 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
140/1	0.231
140/5	0.210
140/8	0.275
140/7	0.263
140/2	0.129
201/2	0.109
140/6	0.146
140/4	0.579
197	0.389
199	0.134
279/2	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
200/1	0.170	915	0.251
198/6	0.032	926	0.081
201/1	0.142	198/1	0.004
213/1	0.866	202/1	0.105
283	0.539	214/1	0.049
282/1	0.154	214/2	0.069
282/2	0.214	212	0.142
278/1	0.121	297/1	0.336
278/2	0.202	290/1	0.101
277/1	0.162	290/2	0.110
277/2	0.024	289	0.567
211/1	0.012	296/2	0.275
211/4	0.186	927	0.251
291/1, 291/2, 291/3	0.146	928	0.162
291/4	0.073	922	0.057
297/2	0.101	281/2	0.040
297/3	0.081		
900	0.138	योग 56	10.002
901	0.113		
903	0.255		
899	0.405		
898/3	0.146		
914/2	0.121		
914/3	0.178		
914/4	0.049		
914/5	0.008		
916	0.267		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक/714/गीदम व.भू-उप./न.ग्रा.नि./2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में फरसगांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 102/गी.वि.यो./नग्रानि/2016 जगदलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन फरसगांव निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 11 अप्रैल 2016 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

गीदम निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : नगर पंचायत गीदम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : नगर पंचायत गीदम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हाउरनार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम हारम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन, गीदम.

No. 714/Geedam.E.L./T&CP/2015.—The existing land use map and reister for the Geedam Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 102/T.C.P./2016 jagdalpur, dated 22 February 2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use map and register of Geedam Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its Publiccation in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 11-04-2016.

SCHEDULE

Limits of Geedam Planning Area

NORTH : Nagar Panchayat Geedam up to the Northern limit
EAST : Nagar Panchayat Geedam upto the Eastern limit.
SOUTH : Village Haournar upto the Southern limit of village.
WEST : Village Haram upto the Western limit of village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisagrh Gazette.

Place of Inspection : Nagar Panchayat Bhavan, Geedam

डी. के. बघेल,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 19 मई 2016

क्रमांक 431/नग्रानि/कबीरधाम/पांडातराई/2016.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पांडातराई निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कबीरधाम एवं कार्यालय नगर पंचायत पांडातराई में दिनांक 27-05-2016 से 30 दिवस के लिये निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

अनुसूची

पांडातराई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मदनपुरखुर्द, छांटा एवं मड़मड़ा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम मड़मड़ा, सरईपतेरा कला एवं चरखुरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चरखुरा, नवागांव कला, डोंगरिया कला एवं पुतकी कला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम पुतकी कला, दशरंगपुर, रोहरा, लडुवा एवं मदनपुरखुर्द ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 431/T&CP kawardha/Pandatarai/2015.—Notice is here by given that notice for the publication of Existing land use of Pandatarai planning area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of Chhattisagrh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy there of is available for inspection from date 27-05-2016 to till 30 days, during office hours in the offices of Collector district kabirdham c.g., office of the asistant director town and country Planning kabirdham c.g., and office of the nagar panchayat Pandatarai c.g.

The limit of Pandatarai planning area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of Pandatarai Planning Area

NORTH	:	Village Madanpur Khurd, Village-Chhata & upto Northern limit of Village-Madmada.
WEST	:	Villagar-Madmada, Village-Saraipatera Kala & upto Western limit of Village Charkhura.
SOUTH	:	Village Charkhura, Village-Navagaonkala, Village-Dongariya Kala & upto Southern limit of Village-Putkikala.
EAST	:	Village Putkikala, Village-Dashrangpur, Village-Rohara, Village-Ladua & upto Eastern limit of Village-Madanpur Khurd.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to Commisioner Cum Director Town and country Planning Chhattisgarh Naya Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be conidered by the Commissionor Cum Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisagrh.

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.